केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067
******

प्रथम अपील सं	CICOM/A/P/25/00079
संदर्भ संचिका सं .	CICOM/R/P/25/00077
अपीलकर्ता	श्री संजीव कुमार [redacted]

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	30.01.2025
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	06.02.2025
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	10.02.2025
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. अनंथारामन CPIO, (DR to IC VT)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	05.03.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	18.03.2025
निर्णय की तारीख	16.04.2025

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 30.01.2025 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : .

1.) केंद्रीय सूचना आयोग के डिप्टी रजिस्ट्रार (IC - UM) के द्वारा निर्गत पत्रांक File No. CIC/ERAIL/A/2020/109699 dated 25.01.2023 (Annex – A) पर अभी तक की गई सम्पूर्ण कार्यवाही का प्रमाणित जानकारी दें।

2.) आवेदक के द्वितीय अपील पर केंद्रीय सूचना आयोग के सुनवाई के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर निम्नलिखित File पर हुई कार्यवाही की सम्पूर्ण प्रमाणित जानकारी दें:-

(i) File No. – CIC/ERAIL/A/2022/158120 – UM

(ii) File No. – CIC/ERAIL/A/2022/149244 – UM

(iii) File No. – CIC/ERAIL/A/2021/156454 – UM

3.) File No. CIC/ERAIL/A/2023/10568, 129694, 130573, 143670, 143721 (Annexe – B) की सुनवाई 12.03.2024 को सूचना आयुक्त Vinod Kumar Tiwari द्वारा की गई 15.03.2024 को आदेश दिया गया जिसमे CPIO, Senior Division Electric Engineer (OPN) Eastern Railway Asansol Division को Show Caused किया गया। तो आवेदक को यह प्रमाणित जानकारी दे कि

(a) सूचना आयुक्त द्वारा CPIO पर Show Caused पर की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण प्रमाणित जानकारी दे।

(b) CPIO द्वारा CIC को दिए गये Explanation की प्रमाणित जानकारी दें।

2. प्रदान की गई सूचना

श्री एस. अनंथारामन केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांकित 10.02.2025 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई –

"Point 1.) – Subsequent to issuance of CIC letter dated 25.01.2023, no reply was received from the Respondent Public Authority. However, no action was taken.

Point 2.(I, ii, iii) - No action is found in the files. However, a reply in case file No. CIC/ERAIL/A/2022/125120 has been received from the CPIO. Total number of page 01, excluding the paper/communication received from you, will only be provided to you subject to payment of Rs. 2/- per copy as per Section 4 of RTI Rules 2012. Accordingly, you are advised to deposit Rs. 02/- ...

Point 3 (a). – No action has been taken.

(b) - Total number of pages 07, excluding the paper/communication received from you, wiil only be provided to you subject to payment of Rs. 2/- per copy as per Section 4 of RTI Rules 2012. Accordingly, you are advised to deposit Rs. 14/- ....

Mode of payment of fee – Fees under these rules may be paid in any of the following manner, namely :- (a) in cash, to the public authority or to the Central Assistant Public Officer of the public authority as the case may be, against a proper receipt, or (b) by demand draft or bankers cheque of Indian Postal Order

payable to the Accounts Officer of the public authority, or (c) by electronic means is available with the public authority."

3. प्रथम अपील का आधार

लोक सूचना अधकारी ने जो जानकारी दिए है वो अधूरा है। लोक सूचना अधिकारी ने आर.टी.आई. एक्ट की धारा 3 (जिसमे सभी नागरिको को सूचना पाने का अधिकार दिया गया है) आर.टी.आई के बारे में लोक सूचना अधिकारी के दायित्व निर्धारित करने वाली धारा 7 की उपधारा 1, 3 (A) 3 (B) और 8 का स्पष्ट उल्लघन किया है।

कृपया आवेदक को पूर्ण रूप से सही सही एवं प्रमाणित जानकारी दिलाने की कृपया करें।

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन CICOM/R/P/25/00077 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक 16.04.2025 .

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
22 APR 2025
D. No. ....
Initials...........

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

O/C

22-4-25